न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 245 / 2021 अपील / डूंगरपुर (GCMS 2021/261)
पंजीयन दिनांक– 19.07.2021
निर्णय दिनांक– 24.09.2021

1. श्री नाना पिता काउडा भगोर, आदिवासी, निवासी गुंदलारा, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री गौतमा पिता काउडा भगोरा, आदिवासी, निवासी गुंदलारा, तहसील, चिखली, जिला डूंगरपुर।
2. सम्पी पत्नि गौतमा भगोरा, आदिवासी, निवासी गुंदलारा, तहसील, चिखली, जिला डूंगरपुर।
3. भूमिधारी, तहसीलदार, चिखली, जिला डूंगरपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष शर्मा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहनलाल जोशी / श्री सचिन जोशी – अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 1, 2
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्ररकण संख्या 13 / 2020 निर्णय दिनांक 08.03.2021

निर्णय

दिनांक 24.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 13 / 2020 निर्णय दिनांक

08.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 19.07.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 आपस में भाई है तथा तथा पिता द्वारा अपने खाते व कब्जे की भूमि समस्त पुत्रों में बांट दी थी। मौजा गुंदलारा के खसरा नम्बर 682 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा होने से 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांट को 30–35 वर्ष पूर्व काबिज कराया गया, कच्चा मकान भी बना हुआ था जिसको गिराकर नया बनाये जाते समय जानकारी हुई की कब्जे शुदा भूमि को रेस्पोडेंट के द्वारा आवंटन कराया गया है। अतः खसरा नम्बर 682 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 10 बिस्वा का आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्ररकण संख्या 13/2020 निर्णय दिनांक 08.03.2021 से प्रार्थना पत्र अपीलांट अस्वीकर कर खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः– *"संपूर्ण पत्रावली को देखने से प्रार्थी की यह बात कि उपरोक्त भूमि पर उसके पिता काउडा का कब्जा काश्त रहा है। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज रेकार्ड पर पेश नही किया गया है तथा प्रकरण को देखने से ऐसा भी प्रतीत नही हो रहा है कि आवंटन गलत तथ्यों या धोखे से कराया गया हो। प्रकरण में विपक्षी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है तथा न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट से भी विपक्षी गौतमा का मकान मौके पर पाया गया है तथा मौका रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि प्रार्थी नाना द्वारा ईट व पत्थर डाले हुए है। लेकिन मात्र अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ईट पत्थर यदि डाल भी दिए जाते है तो आवंटन निरस्त करने का आधार नही हो सकता है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी*

द्वारा जो उपखण्ड न्यायालय में वाद पेश किया गया है। वह वाद इस प्रार्थना पत्र से पूर्व का है यानि जब प्रार्थी मौके पर निर्माण हेतु सामग्री डालने गया तब विवाद का प्रारंभ हुआ है ना कि पूर्व से कोई निमार्ण मौके पर प्रार्थी का था। ऐसी परिस्थिति में मेरे विनम्र मत में मै यह पाता हूं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित पाता हूँ। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा विपक्षी का आवंटन यथावत रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मोहनलाल जोशी/श्री सचिन जोशी उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 15.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में वर्णित भूमि के आस पास अपीलांट व रेस्पोडेंट के खाते की भूमि है तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट के पिता ने बराबर–बराबर खाते व कब्जे की भूमि बांट कर काबिज कराया है पास में खसरा नम्बर 680 व 681 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा है उसकी सीध में खसरा नम्बर 682 के रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। खसरा नम्बर 682 रकबा 1.10 बीघा पर रेस्पोडेंट ने कभी काश्त नहीं की है भूमि मगरी है तथा 10 बिस्वा भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा भी नही है ऐसी स्थिति में मौजा गुंदलारा के खसरा नम्बर 682 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 10 विस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना आवयश्क व न्यायोचित है। रेसपोडेंट आवंटन का पात्र नही था उसके हिस्से में लगभग 10 बीघा

भूमि है परंतु आवंटन प्रार्थना पत्र में उसके द्वारा 5 बीघा भूमि बता कर Misrepresentation व Fraud कर आवंटन अपने नाम करा लिय है ऐसी स्थिति में 10 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किय गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि आवंटन शुदा भूमि पर काउडा का कभी कब्जा नही रहा है तथा आवंटन शुदा भूमि पर उत्तरदाता का कब्जाकाश्त है। अपीलांट विस्तार वादी प्रकृति का व्यक्ति है तथा भूमि खरीदना चाहता था जिसको इंकार किए जाने पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास किया, जिस पर उपखण्ड न्यायालय, सीमलवाडा में एक वाद दिनांक 23.12.2019 को पेश किया गया जो लम्बित है। उत्तरदाता का शांतिपूर्ण कब्जा है। आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की गई। कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का होकर उसके द्वारा ही भूमि पर काश्त की जाती रही है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सही रूप से भूमि का आवंटन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपंर द्वारा दिनांक 08.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ अति. जिला कलक्टर, डूंगरपंर द्वारा दिनांक 08.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2021 को किया गया है जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 19.07.2021 को प्रस्तुत की है, विलम्ब के लिए अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 जाप्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि कोविड–19 महामारी के कारण न्यायालय

में न्यायिक कार्य बंद होने व लॉकडाउन के कारण अपील अंदर मियाद प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अपीलाण्ट के दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में वर्णित कारणों, अखण्डित शपथ–पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में अब हम उपरोक्त वर्णित उभय पक्षों की बहस व अपीलाण्ट के उजरात के आधार पर अपील में गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आवंटी रेस्पोंडेण्ट को आवंटन वर्ष 2002 में ग्राम गुन्दलारा की आराजी नं0 682 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया, जिसके निरस्तीकरण का आवेदन अपीलाण्ट द्वारा 04.03.2020 को अर्थात् 18 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अपीलाण्ट व आवंटी रेस्पोंडेण्ट दोनों सगे भाई है। प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी आवंटी रेस्पोंडेण्ट को प्राप्त हो चुके हैं। अपीलाण्ट का कथन यह है कि न्यायालय द्वारा जब मौका दिखवाया गया तो उक्त भूमि पर 10 बिस्वा पर आवंटी का कब्जा बना हुआ था व शेष 1 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा था व मौके पर ईंट, पत्थर डाले हुए थे अर्थात् अपीलाण्ट अपनी अपील में प्रमुख रूप से उसका कब्जा होना व उसके द्वारा पत्थर डाल रखना बताता हैं। विधिक आवंटी व खातेदार की भूमि पर पत्थर डालकर कब्जा कर लेने के आधार पर विधिक आवंटी का आवंटन निरस्त करने का आधार नहीं बनता, तद्नुसार अपीलाण्ट के कब्जे के आधार पर आवंटन निरस्तीकरण का यह तर्क मान्य नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मेमों में क्रम संख्या 7 में रेस्पोंडेण्ट आवंटी के निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने का जो वर्णन किया है, उसमें अपीलाण्ट के खता संख्या 109 में कुल 7.92 हैक्टेयर भूमि में से 1/6 हिस्सा होना अर्थात् 1.31 हैक्टेयर भूमि नहरी होना अवगत करवाया है जबकि उक्त समस्त भूमि नहरी नहीं है, कतिपय आराजी नं0 नहरी है एवं 7.92 हैक्टेयर में से छठां हिस्सा रेस्पोंडेण्ट का मान भी लिया जाए तो 1.31 हैक्टेयर जिसमें से सभी

का 3 गुना होना नहीं माना जा सकता। उक्त भूमि में से नहरी भूमियां अधिकतम 0.6 हैक्टेयर से अधिक नहीं है, अर्थात् कुल 7.92 हैक्टेयर में से 0.6 हैक्टेयर ही नहरी है तथा इसी प्रकार अन्य खसरा संख्या 681 में से 10 बिस्वा भूमि रेस्पोंडेण्ट का हिस्सा होने को अपीलाण्ट अवगत करवाता है। उपरोक्त समस्त भूमियां व आवंटित भूमि का योग 4 हैक्टेयर से अधिक नहीं बनता, अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र भी मान्य नहीं है। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र नहीं दिया है फिर भी उसे आवंटन कर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 गौतमा की पत्नी रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 सम्पी है। इस संबंध में आवंटन नियमों एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवंटी के साथ उसकी पत्नी का नाम जोड़े जाने के विधिक निर्देश है। अतः अपीलाण्ट का यह उज्र भी मान्य नहीं है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा होने के तथ्य बताता है परन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट ने उक्त आवंटन का **Froud and Misrepresentation** से प्राप्त करना अवगत कराया है परन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित विवेचन करते हुए अपीलाण्ट का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किया है तथा अपील में भी अपीलाण्ट द्वारा जो उज्र उठाये गये है, उससे रेस्पोंडेण्ट आवंटी का आवंटन खारिज किये जाने के कोई तथ्यात्मक एवं विधिक आधार उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुए अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर